सीईओ कार्यालय स्थानांतरित करें

▸ चुनाव आयोग का कोलकाता पुलिस को निर्देश

कोलकाता, 29 नवंबर. चुनाव आयोग ने शुक्रवार रात को कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा को एक नया निर्देश जारी किया है.

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को तत्काल प्रभाव से किसी सुरक्षित और उपयुक्त परिसर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है. यह निर्देश हाल ही में सीईओ कार्यालय में हुई गंभीर सुरक्षा चूक के बाद आया है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा कार्यालय के साथ-साथ नए स्थान पर भी पूरी तरह से फुल-प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. तीन दिन में यह दूसरा पत्र है. सोमवार को 'बूथ लेवल ऑफिसर अधिकार रक्षा समिति' नामक एक संगठन के सदस्यों ने सीईओ कार्यालय में प्रदर्शन किया था, जिसे आयोग ने सुरक्षा की गंभीर चूक करार दिया है. ये लोग वर्तमान में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अत्यधिक कार्यभार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों ने बिना किसी पूर्व नियुक्ति के राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से मिलने की कोशिश की.

सुरक्षा में कमजोरी से असंतुष्ट हुआ आयोग

बुधवार को चुनाव आयोग ने पुलिस आयुक्त को पहला पत्र लिखकर राज्य निर्वाचन आयुक्त, अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा (घर और आने-जाने के रास्तों सहित) सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था तथा 48 घंटे में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी थी. सुरक्षा में कमजोरी से असंतुष्ट होकर आयोग ने अब नवीनतम पत्र में कार्यालय को तुरंत स्थानांतरित करने और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने पर जोर दिया है. इसके अलावा, चुनाव आयोग ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को एसआईआर प्रक्रिया के लिए विशेष प्रेक्षक नियुक्त किया है तथा राज्य के 24 निर्वाचन जिलों में 12 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है, जो संशोधन प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. ये सारे घटनाक्रम उस समय हो रहे हैं जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त से एसआईआर प्रक्रिया को निलंबित करने की अपील की थी. उनका तर्क था कि बीएलओ पर अत्यधिक बोझ है और उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही. सुरक्षा अनुपालन पर चुनाव आयोग की आगे की रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि मतदाता सूची का संशोधन कार्य जारी है.

अमेरिका ने अफगान वीजा जारी करने पर रोक लगाई

वॉशिंगटन. अमेरिका ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए वीजा जारी करने पर तुरंत रोक लगाने और सभी शरण के लिए आवेदन करने पर रोक लगाने की घोषणा की है. यह घोषणा वॉशिंगटन, डीसी में हुई एक गोलीबारी की घटना के बाद की गई है, जिसमें नेशनल गार्ड के एक सदस्य की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

जहाज में आग, सुरक्षित निकाले 25 लोग

काला सागर में टैंकर में बाहरी टक्कर के कारण आग लगी

इस्तानबुल, 28 नवंबर. तुर्की के तट के करीब शनिवार को काला सागर में एक टैंकर में बाहरी टक्कर के कारण आग लग गयी. इसमें 25 चालक दल के सदस्य भारतीय थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है.

इस बीच, तुर्की के एक अन्य टैंकर विराट में भी कुछ देर बाद बाहरी टक्कर के कारण आग लगी. यह जहाज भी गांबिया के ध्वज तले समुद्र में सफर कर रहा था. तुर्किये के समुद्री मामलों के महानिदेशालय ने यह जानकारी दी. महानिदेशालय ने अपने शुरुआती बयान में कहा कि बचाव कर्मियों को घटनास्थल से वापस लाने की तैयारी की जा रही है. बयान में कहा गया, रिपोर्ट मिली है कि तुर्किये के तट से 28 समुद्री मील दूर नोवोरोसिस्क की ओर बढ़ रहे खाली केरोस टैंकर में बाहरी आघात के कारण आग लग गयी. कर्मीदल के सभी 25 लोग सुरक्षित हैं. तुर्किये के यातायात और बुनियादी-ढांचे मंत्रालय ने बाद में जारी किये गये एक बयान में बताया कि सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. यह जहाज मिस्र से रूस की ओर जा रहा था.

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आग पर समय पर काबू नहीं पाया गया तो जहाज डूब सकता है. दूसरी ओर, निदेशालय ने विराट से संबंधित बयान में कहा, टैंकर विराट के चालक दल ने बताया कि जहाज काला सागर में तुर्की के तट से 35 समुद्री मील दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. बचाव दल और एक व्यापारी जहाज को घटनास्थल पर भेज दिया गया है. निदेशालय ने जहाज को हुए नुकसान या टक्कर की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. विराट के चालक दल के 20 सदस्यों की हालत सामान्य है. निदेशालय ने जहाज के चालक दल के हवाले से बताया कि इंजन कक्ष में भारी धुआं था.

विदेशी नागरिकों को पनाह देने के आरोप में 13 लोग गिरफ्तार

कोलकाता, 29 नवंबर. पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद पुलिस ने बिना वैध पहचान दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों को पनाह देने के आरोप में 12 बांग्लादेशी समेत 13 लोग गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने कल रात हुर्शी ग्राम पंचायत के चार गोपालपुर गांव में छापेमारी के दौरान 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें बारह बांग्लादेशी नागरिक और एक भारतीय नागरिक शामिल हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी मिलने के बाद कि चार गोपालपुर गांव में बिना किसी वैध दस्तावेजों के विदेशी नागरिकों को पनाह दी जा रही है, इलाके में एक अभियान शुरू किया. पुलिस ने भारतीय नागरिक की पहचान साबिर अली (31) के रूप में की, जिसने कथित तौर पर 12 बांग्लादेशी नागरिकों को कुछ समय के लिए रहने की जगह दी थी. जांचकर्ताओं का मानना है कि यह समूह अली की मदद से गांव में चुपके से रह रहा था, हालांकि पश्चिम बंगाल में उनके गैर-कानूनी रहने का कारण अभी साफ नहीं है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि किसी भी बांग्लादेशी नागरिक के पास वैध सफर या पहचान के दस्तावेज नहीं थे कि वे भारत में रह सकें. गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एमडी अवल, अब्दुल खालिक, सुमन अली, सुकुद्दीन, खबीर, साहिदुल, एमडी सब्बीर, एमडी जियारुल के तौर पर हुई है.

शानदार काम कर रही है मान सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा

पंजाब में विकास की नई इबारत लिखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक विशाल रोड नेटवर्क तैयार करने का महत्त्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है. अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस मेगा प्रोजेक्ट की खुले शब्दों में तारीफ़ की. उन्होंने लिखा कि पंजाब में 44,920 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 16,209 करोड़ रुपये है. केजरीवाल ने इसे देश के किसी भी राज्य द्वारा किया गया इतिहास का सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्यक्रम बताया. के नेतृत्व वाले इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य है—पंजाब को विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क से जोड़ना, जिससे न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक सुगम आवाजाही संभव होगी.

नईदिल्ली, 29 नवंबर. पंजाब सरकार ने अपने सबसे बड़े बुनियादी ढांचा अभियान के साथ एक नया इतिहास रचने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है.

इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार की जमकर सराहना की है. उन्होंने लिखा कि पंजाब की तरक्क़ी को नई गति देने के लिए मान सरकार जिस तरह मूलभूत ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में काम कर रही है, वह देश के किसी भी राज्य में पहले कभी नहीं हुआ. केजरीवाल के मुताबिक, पंजाब में 44,920 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण 16,209 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से किया जा रहा है. यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि पंजाब को नए विकास मार्ग से जोड़ने की एक अभूतपूर्व पहल है. उन्होंने इसे भारत में अब तक का सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य बताते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से राज्य की आर्थिक स्थिति से लेकर औद्योगिक और ग्रामीण कनेक्टिविटी तक हर पहलू में बड़ा परिवर्तन आएगा.इस पोस्ट ने न सिर्फ़ क्कसमर्थकों में उत्साह बढ़ाया है, बल्कि पंजाब के विकास मॉडल को लेकर राष्ट्रीय बहस को भी नई दिशा दे दी है.

आज का इतिहास

1731 - बीजिंग में भूकंप से एक लाख लोग मरे।

1759 - दिल्ली के सम्राट आलमगिर द्वितीय की उनके मंत्री ने हत्या की।

1858 - प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोस का जन्म।

1888 - भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित का जन्म।

1936 - हिन्दी फ़िल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा का जन्म।

एक नजर में

पीएम के बयान को लेकर सड़क पर उतरे लोग

टोक्यो, 29 नवंबर. जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के ताइवान पर दिए गए बयान के जवाब में जापानी लोगों ने टोक्यो में उनके आवास के समक्ष बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किया। उन्होंने ताकाइची से अपने बयान वापस लेने की मांग की। ताकाइची के बयान को लेकर गत 21 और 25 नवंबर को हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद सैकड़ों लोग एक बार फिर प्रधानमंत्री के सरकारी घर के सामने जमा हुए. प्रदर्शनकारियों ने ताकाइची इस्तीफा दें और इतिहास को कभी न भूलें, वही गलतियां कभी न दोहराएं लिखे हुए पोस्टर पकड़े हुए थे.

फ्रांस-यूक्रेन के बीच राफेल सौदा केवल इरादे की घोषणा

पेरिस. यूक्रेन और फ्रांस के बीच एक सौ बहुउद्देश्यीय राफेल जेट और एसएएमपी-टी वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति के लिए जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए हैं वह कोई खरीद-बिक्री समझौता नहीं है,

Land for Sale at Kaanha (M.P.)

Clear title land for sale in Kaanha. Ideal for farmhouse and residential plotting. Contact 9074747174 / 9072311440 for further details.

यूको बैंक UCO BANK (A Government of India Undertaking)
आंचलिक कार्यालय: 380, दूसरी मंजिल, साकेत नगर, इंदौर
फोन:0731-2438300, 2438321

निविदा सूचना

यूको बैंक अंचल कार्यालय इंदौर के प्रस्तावित नए परिसर के लिए प्रस्तावित **रेडीमेड मॉड्यूलर फर्निचर** के लिए बैंक **प्रतिष्ठित ठेकेदारों, सप्लायर्स, मॉड्यूलर फर्निचर बनाने वाली फर्म, एवं पेनल में शामिल वेंडर** से तीन लिफाफा प्रणाली में सीलबंद निविदा प्रस्ताव (तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्ताव) आमंत्रित करता है।
कृपया निविदा और पात्रता विवरण के लिए हमारी वेबसाइट **www.uco.bank.in** पर जाएं और टेंडर डॉक्यूमेंट वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते है।
निविदा संख्या ZOI/GAD/2025-26/250 दिनांक 29/11/2025
जमा करने की अंतिम तिथि 22.12.2025 शाम 5.00 बजे
अनुमानित लागत रु. 40.23 लाख + जीएसटी
प्री बिड मीटिंग 15.12.2025 अपराह्न 3.00 बजे।
ईएमडी रु. 40,000.00 (चालीस हजार मात्र)
अंचल प्रबंधक, इन्दौर

पश्चिम रेलवे-रतलाम मण्डल

ई-निविदा सूचना

IREPS Tender No.: M-620874-AMC-QWS-UJN-2025

भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिए वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी इंजीनियर (कै. वै.)/रतलाम, रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे द्वारा निम्नलिखित कार्य/कार्यों के लिए खुली IREPS निविदायें (**Open tender, Single Packet system**) आमंत्रित की जाती है। यदि किसी कारणवश निविदा खुलने की नियत दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है तो संबंधित निविदायें अवकाश के अगले कार्य दिवस मे नियत समय पर खोली जायेगी। **क्र.स.– 1. कार्य का नाम एवं स्थानः** उज्जैन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों पर कोच वाटरिंग के लिए उच्च दबाव बूस्टर सिस्टम के लिए 02 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध। **क्र.स.– 2. कार्य की अनुमानित लागतः** ₹ 29,34,854.00/– सभी टैक्स एवं GST सम्मेत। **क्र.स.– 3. निविदा फार्म की कीमतः** समस्त निविदाकार के लिए ई-निविदा फार्म निः शुल्क, **क्र.स.– 4. अग्रिम धनः** ₹ 58,700.00/–, **क्र.स.– 5. समापन अवधिः** 730 दिन एलओए जारी होने की तारीख से। **क्र.स.– 6. कार्यालय का पता जहां निविदा खुलेगीः** कार्यालय वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी इंजीनियर (कै. वै.), रतलाम मंडल (प.रे.), **क्र.स.– 7. निविदा फार्म जमा करने एवं निविदा खुलने का समयः** बंद होने का समयः 15:00 Hrs. on 17.12.2025, खुलने का समयः 15:30 Hrs. on 17.12.2025, **क्र.स.– 8. वेबसाईट व नोटिस बोर्ड जहां निविदा संबंधी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती हैः** निविदायें IREPS की वेबसाईट **ireps.gov.in** पर देखी जा सकती है साथ ही इस संबंध में कोई भी जानकारी कार्यालय वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी इंजीनियर (कै. वै.), रतलाम मंडल (प.रे.) से सभी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त की जा सकती है।

वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी इंजीनियर (कै. वै.), रतलाम
3/1/348
हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

WONDER HOME FINANCE Zindagi Ki Perfect Shuruaat

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)
कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

मैसर्स वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 के तहत ऋणियों से देय राशि की वसूली के लिए, अधिकारियों द्वारा उल्लिखित सुरक्षित सम्पत्ति का अधिकार लेने के अनुसरण में अचल संपत्ति खरीदने के लिए मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित किया गया है, जैसा कि नीचे वर्णित है, जैसा है जहां है आधार पर, ''जैसा है जो है आधार पर'' और ''जो कुछ है आधार पर नीलामी की जाएगी जो कि भोतिक कब्जे में है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

खाता संख्या/ ऋणी, सहऋणी / गारंटर	मांग सूचना की दिनांक एवं राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूलय	बयाना धन जमा	दिनांक व कुल बकाया राशि	नीलामी का स्थान
(ऋण खाता संख्या) LN20062HP23-24019076, श्री देवी प्रसाद शर्मा पिता श्री बाबू लाल (ऋणी एवं बंधककर्ता), श्रीमती पूजा शर्मा (सहऋणी एवं बंधककर्ता)	11.01.2025 Rs. 19,30,306.05 उन्नीस लाख तीस हज़ार तीन सौ छह रुपये और पाँच पैसे मात्र 10.01.2025 तक भौतिक कब्जा 27.11.2025	श्री देवी प्रसाद शर्मा की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. 38 के पूर्वी भाग में स्थित, सर्वे नं. 713/2 4, 5, 6, 7 एवं 8, कायम ओसवाल नगर, तहसील एवं जिला रतलाम, मध्यप्रदेश, क्षेत्रफल 600 वर्गफीट	Rs. 21,36,000/- इक्कीस लाख छत्तीस हज़ार रुपये मात्र	Rs. 2,13,600/- दो लाख तेरह हज़ार छः सौ रुपये मात्र	Rs. 21,88,472.91 दिनांक 27.11.2025 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, छटवी मंजिल, उत्तर ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर, 302017

नीलामी दिनांक 31.12.2025, बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक 29.12.2025, सांय 5:00 बजे तक, निरीक्षण की दिनांक एवं समय 27.12.2025 (कार्यालय समय में)

निविदा की शर्तें:-
(1) निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा कम्पनी में उपलब्ध उपरोक्त संपत्ति के निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त किऐ जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सील बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि जो की आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत हो, बैंकर्स चैक/मॉंग ड्राफ्ट जो कि वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाऐवंडर होम फाइनेंस लिमिटेड पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात् निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। (2) सफल निविदाकर्ता को सफल बोली की 10 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। (3) सफल निविदाकर्ता को शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 30 दिन के अन्दर प्रतिभूत लेनदार को जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना जब्त समझी जायेगी। (4) सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, 9828999412 पर किसी भी कार्य समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं या कार्यालय समय के दौरान उपरोक्त शाखा कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
नोट:-यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिए भी नियम 8(6) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र भी माना जायेगा।
दिनांक: 29-11-2025 स्थान: रतलाम, मप्र **प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर
ई-नीलामी की सूचना

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभावित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है** के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक **18.12.2025** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

ऋणी, जमानतदार एवं शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग पत्र की राशि एवं दिनांक	आरक्षित मूल्य (₹) धरोहर राशि (₹) बिड वृद्धि राशि (₹)
मेसर्स नारायण दास उद्योग (प्रो. स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल) जमानतदार: 1. श्री अतुल अग्रवाल पिता स्व. श्री कैलाश चंद अग्रवाल 2. श्रीमती अर्चना अग्रवाल पति श्री अतुल अग्रवाल शाखा: खण्डवा मोबाईल: 83700 12036	**1.** प्लाट नं. 19 (पट्टे पर दिया) जिसका टिन शेड क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट (लम्बाई 50×40) एवं जिसका शेड एवं गार्डन फर्शी 1040 वर्गफीट (लम्बाई चौड़ाई 52×20) कुल प्लाट का क्षेत्रफल 22000 वर्गफीट (2044.60 वर्गमीटर), संतोषी माता वार्ड नं. 32, इण्डस्ट्रिसल एरिया, इन्दौर रोड, खण्डवा (म.प्र.), **मालिक: मेसर्स नारायण दास उद्योग (प्रो. स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल) इनके कानूनी उत्तराधीकारी: 1.1. श्रीमती राशी अग्रवाल पति स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.2. श्री वेनुगोपाल अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.3. सुश्री चाहत अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.4. श्रीमती राशि अग्रवाल (सुश्री नंदिनी अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल की संरक्षक), चर्तु:सीमा: उत्तर:** 60 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** 20 फीट बेक लाईन, **पूर्व:** 60 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** प्लाट नं. 18	**2,57,03,756 + ब्याज एवं अन्य खर्च**	**67,45,000 / 6,75,000 / 50,000**
	2. संतोषी माता वार्ड नं. 32, इण्डस्ट्रियल एरिया, इन्दौर रोड, खण्डवा (म.प्र.), खसरा नं. 80/5, परिवर्तित शीट नं. 02, प्लाट नं. 55 पर स्थित संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 20021 वर्गफीट, **मालिक: 1. श्री अतुल अग्रवाल पिता एवं स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, इनके कानूनी उत्तराधीकारी: 1.1. श्रीमती राशी अग्रवाल पति स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.2. श्री वेनुगोपाल अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.3. सुश्री चाहत अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.4. श्रीमती राशि अग्रवाल (सुश्री नंदिनी अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल की संरक्षक), 3. श्रीमती अर्चना अग्रवाल पति श्री अतुल अग्रवाल एवं श्री अतुल अग्रवाल पिता स्व. श्री कैलाश चंद अग्रवाल, चर्तु:सीमा: उत्तर:** सरकारी भूमि एवं कच्चा रास्ता, **दक्षिण:** खसरा नं. 80/5 की शेष भूमि, **पूर्व:** खसरा नं. 80/1 एवं खसरान. 80/2 की भूमि, **पश्चिम:** खसरा नं. 80/4 की भूमि एवं सरकारी भूमि		**90,10,000 / 9,01,000 / 50,000**
	3. भैरव तालाब, वार्ड नं. 30 जिसको पदम नगर कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, खण्डवा, तहसील एवं जिला खण्डवा (म.प्र.) परिवर्तित शीट नं. 22, प्लाट नं. 21, पर स्थित रहवासी मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 1464 वर्गफीट, **मालिक: श्रीमती अर्चना अग्रवाल पति श्री अतुल अग्रवाल एवं श्री अतुल अग्रवाल पिता स्व. श्री कैलाश चंद अग्रवाल, चर्तु:सीमा: उत्तर:** किर्ती बाई का मकान, **दक्षिण:** चंद्रादेवी का मकान, **पूर्व:** कॉलोनी की सड़क, **पश्चिम:** गली		**41,80,000 / 4,18,000 / 50,000**

(ऑनलाईन) ई-नीलामी दिनांक: 18.12.2025 , समय: प्रात: 10 से सायं 6 बजे तक
दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक 18.12.2025 एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक व समय : 18.12.2025, सायं 5.30 बजे तक, ईएमडी को छोड़कर शेष बोली की राशि जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण: अकाउंट नं. : 3283786076, खाते का नाम: प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, IFSC CODE: CBIN0280765

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी **www.centralbank.co.in** और सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें। **क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर 95222 73419** से संपर्क कर सकते है।

सिक्यूरीटाईजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 15 दिवसीय वैधानिक सूचना

सफल बोलीकर्ता को 15% राशि का भुगतान 24 घंटे के भीतर करना होगा।
दिनांक: 30.11.2025, स्थान: इन्दौर **प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

HINDUJA HOUSING FINANCE

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
पंजीकृत कार्यालय 27-ए, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600032, तमिलनाडु। ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया जाता है। ऋणी द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणी/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। ऋणी का ध्यान, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। ऋणी विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर HHFL द्वारा उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज लगाया जाएगा।

	उधारकर्ता का नाम / लैन नंबर
1	LAN: MP/IDR/INDR/AO000001106. 1. श्री अब्दुल कादर अहमदबादवाला 2. श्रीमती. 1 जहरा अहमदाबादवाला. पताः ए 125 सिलिकॉन सिटी निहालपुरा मुंडी आब रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत -452001 | कब्जे की तिथिः 26/11/2025
	मांग सूचना दिनांक एवं राशिः 06.08.2025 और रु. 1191967/- 06/08/2025 तक
	संपत्ति की अनुसूचीः ए 125 सिलिकॉन सिटी निहालपुरा मुंडी एबी रोड, इंदौर मध्य प्रदेश, भारत - 452001। सीमाएँः बिक्री विलेख के अनुसार। उत्तरः प्लॉट संख्या 124, दक्षिणः प्रकाश संख्या 404, पूर्वः प्लॉट संख्या ए 122, पश्चिमः लिफ्ट और प्रकाश संख्या 402
2	LAN: MP/IDR/DHAR/A000000295. 1. श्री अजय जी 2. श्रीमती मुन्नी जी 3. श्रीमती आनंदी बाई. पताः संपत्ति स्थित है, प्लॉट नंबर 36, सर्वे नंबर 110 की भूमि, ग्राम अम्बोदिया, तहसील घाटिया, जिला. उजैन मध्य प्रदेश, भारत - 456006 | की तिथि कब्जाः 27/11/2025
	मांग सूचना दिनांक और राशिः 08-09-2025 और 08-09-2025 तक रु. 968722/-
	संपत्ति की अनुसूचीः संपत्ति भूखंड सं. 36, भूमि सर्वेक्षण संख्या 110, ग्राम अंबोदिया, तहसील घटिया, जिला उज्जैन, म.प्र., भारत - 456006 पर स्थित है। कुल क्षेत्रफलः- माप क्षेत्रः कुल क्षेत्रफलः- सीमाः बिक्री विलेख के अनुसार। पूर्व- बसंती लाल जी का मकान, पश्चिम- नंदकिशोर जी का मकान, उत्तर- रोड, दक्षिण- रोड
3	LAN: MP/IDR/DHAR/A000000506.1. श्री बद्रीलाल प्रजापत 2. श्रीमती तेजू बाई। पताः सर्वे नंबर 1360/1/ 1/4, पी. एच. नंबर 11, ग्राम बरमंडल तहसील सरदारपुर में स्थित है जिला धार (म.प्र.), मध्य प्रदेश, भारत - 454111 | कब्जा की तिथिः 27/11/2025
	मांग सूचना दिनांक एवं राशिः 13-08-2025 और रु. 1281169/- 13-08-2025 तक
	संपत्ति की अनुसूचीः संपत्ति सर्वेक्षण संख्या 1360/1/1/4 पर स्थित है, क्षेत्रफल 0.021 हेक्टेयर। पी.एच. संख्या 11, ग्राम बरमंडल, तहसील सरदारपुर, जिला धार (मध्य प्रदेश), मध्य प्रदेश, भारत -454111 पर स्थित है। मापन क्षेत्रफलः कुल क्षेत्रफल 0.021 हेक्टेयर। सीमाः बिक्री विलेख के अनुसार। पूर्व- दुग्ध संघ की भूमि, पश्चिम- उसी सर्वेक्षण संख्या की शेष भूमि, उत्तर- आम सड़क, दक्षिण- पन्ना राम भील की कृषि भूमि।
4	LAN: MH/KGN/KHGN/A000000264. 1. श्री भागीरथ परजापति 2. श्रीमती सविता प्रजापति 3. श्री हनी प्रजापति। पताः पीएच नं. 102 नया 42 ख. नं.157/21 157/24 बालाज